



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2003/आश्विन 8, 1925

No. 155]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2003/ASVINA 8, 1925

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2003

सं. भा. आ. प.-26(3)/2003-आयु./18503.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा "स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 1997" के संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (क) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) के विनियम 'स्नातक शिक्षा (संशोधन) विनियम 2003' कहे जायेंगे।
- (ख) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 1997 में :—

(क) विनियम 7 के उपविनियम (3) में उल्लिखित शब्द "तीन वर्षों में चार अवसर पूरे करने की शर्त के अधीन चार से अधिक अवसर (वास्तविक परीक्षा) नहीं दिए जाएंगे" हटा दिए गए हैं।

ले. कर्नल (रिटायर्ड) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[शिक्षापन-III/IV/असाधारण/100/03]

पाद टिप्पणी :— मूल विनियम अर्थात्, "स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा पर विनियम 1997" भारत के राजपत्र भाग III, खण्ड 4 में 17 मई, 1997 को प्रकाशित हुए थे और भा.आ.प. की दिनांक 10 मई, 1999 तथा 1 जुलाई, 2002 की अधिसूचनाओं से संशोधित किये गये जो भारत के राजपत्र भाग III, खण्ड 4 में क्रमशः 29 मई, 1999 तथा 2 जुलाई, 2002 को प्रकाशित हुए।

2831 GI/2003

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2003

No. MCI-26(3)/2003-Med./18503.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, namely :—

- (1) These Regulations may be called the Graduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2003.
- (2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997.—
- (a) in Regulation 7, under Sub-regulation (3), the words, "for which he will be permitted not more than four chances (actual examination), provided four chances are completed in three years from the date of enrolment" shall be deleted.

Lt. Col. Dr. A. R. N. SETALVAD (Retd.), Secy.

[ADVT-III/IV/Extraordinary/100/03]

Footnote :— The Principal Regulations, namely, "Regulation on Graduate Medical Education 1997" was published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 17th May, 1997 and amended vide MCI notifications dated 10th May, 1999 and 1st July, 2002 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 29th May, 1999 and 2nd July, 2002.